सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

सप्तम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि $\frac{\text{24 अग्रहायण, 1944 (शo)}}{\text{15 दिसम्बर, 2022 (ईo)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या **126**

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	**21**
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	**43**
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	**21**
(4)	कृषि विभाग	..	..	**18**
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	..	..	**07**
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	**10**
(7)	सहकारिता विभाग	..	..	**06**
			कुल योग --	**126**

गोदाम यथावत रखना

'क'-*189. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गल्ला के वितरण हेतु नवादा जिले के वारिसलीगंज चीनी मिल परिसर में बिहार राज्य भंडार निगम का दो गोदाम 15120 वर्गफीट तथा 5899 वर्गफीट का संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त चीनी मिल की जमीन को बी0आई0ए0डी0ए0 को हस्तांतरण के कारण गोदाम खाली करने का आदेश प्राप्त हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था होने तक गोदाम को यथावत रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*190. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला में कृषि आधारित उद्योग को विकसित करने के लिये फल-फसलों का फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार भोजपुर जिला अन्तर्गत तरारी और सहार में फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*191. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत रफीगंज नगर पंचायत मे नल-जल का कार्य मार्च, 2022 तक पूर्ण करना था परन्तु कार्य आधा-अधूरा करके छोड़ दिया गया है तथा उक्त योजना में भारी पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की गई है एवं 19 करोड़ से अधिक की राशि की निकासी कर ली गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

परिवर्तित करना

*192. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला में सरकारी अनुदानित सहयोग से 17 पैक्सों में अरवा चावल मिल लगाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के अद्यतन आदेश से अब मिलों में उसना चावल तैयार करना है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के कारण सरकारी अनुदानित सहयोग से लगाये गये सभी 17 पैक्सों के अरवा चावल मिल को नहीं जोड़ा गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अरवा चावल मिलों उसना चावल मिल में परिवर्तित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सहकारिता विभाग में स्थानांतरित ।

उपलब्ध कराना

*193. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के विशनपुर पंचायत के ग्राम-मधुलता वार्ड नम्बर 5, फकीर टोला में 250 परिवार एवं वार्ड नम्बर 6, दुलारदई नदी के सोजहा घाट के उस पार महादलित टोला में 60 परिवार के लोगों को अबतक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नल के जल से वंचित परिवारों को कबतक नल का जल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । वस्तुतः रानीगंज प्रखंड अन्तर्गत पंचायत विशनपुर के ग्राम-मधुलता, वार्ड नम्बर 5 में दो टोला है । जिसमें ततमा टोला में जलापूर्ति की जा रही है एवं फकीर टोला जिसकी दूरी योजना से 1.7 किलो मीटर की दूरी पर है । उक्त टोलों में छूटे हुये घरों की संख्या 205 है । जिस कारण 1 अदद् नये योजना की आवश्यकता है । वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 2 अदद् सरकारी चापाकल उपलब्ध है । साथ ही वार्ड संख्या 6 में बरसाती नदी है । उसके दूसरे भाग में महादलित टोला अवस्थित है, जो वार्ड संख्या 6 के योजना के अंतिम छोर से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है । उक्त टोला में कुल 60 घर छूटे हुये है। 1 अदद् नये योजना की आवश्यकता है । वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 1 अदद् सरकारी चापाकल उपलब्ध है । छूटे घरों के लिये विचलन प्रस्ताव की स्वीकृति कर कार्य सम्पादित कराया जायेगा ।

राशि वापस करना

*194. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड अन्तर्गत नये अनुज्ञप्तिधारी चार बिक्रेताओं का जनवरी, 2021 से चालान राशि 11,400 रुपये अभीतक लम्बित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बिक्रेताओं का लम्बित चालान राशि वापस करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*195. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर के वार्ड नम्बर 10, दरभंगा टावर, वार्ड नम्बर 18 एवं 20 मिर्जापुर, लालबाग एवं अन्य कई मोहल्लों का निस्तारित जल मौजा हवेली, दरभंगा व खेराज जलकर बनकर थाना नम्बर 458 वो 509 सर्वे खेसरा नम्बर म्यूनिसिपल खेसरा नम्बर 542/36795 एवं 544/36797 गैर-मजरुआ आम किस्मडबरा में निकासी होता है या जिसे भू-माफिया द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डबरा का संरक्षण एवं अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर जल निकासी की समस्या से निजात दिलाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

हस्तांतरण करना

*196. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के पूर्णियाँ नगर निगम अन्तर्गत 20 फीट से चौड़ी 23 सड़क पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने हेतु गैर-सरकारी प्रेषण संख्या 421, दिनांक 18 मार्च, 2020 के द्वारा सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया था, लेकिन लगभग तीन वर्ष बीतने के बावजूद भी विभागीय लापरवाही के कारण उक्त सड़क का हस्तान्तरण अबतक पथ निर्माण विभाग को नहीं किया गया है, जिससे सभी सड़क जर्जर है और पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र की जनता नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पूर्णियाँ नगर निगम अन्तर्गत 20 फीट से चौड़ी 23 सड़क पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*197. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड के जयपुर पंचायत में कैलाशपति मिश्र उच्च विद्यालय, जयपुर के सामने स्थित खेल मैदान है, जिसका अतिक्रमण हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मैदान का नापी कराकर अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी, कटोरिया को स्थानीय लोगों द्वारा पत्र दिया गया है, परन्तु अभीतक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के सामने खेल मैदान की भूमि को कबतक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से मुक्त कराना

*198. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 नवम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''अतिक्रमण और जाम से दुकानों में ग्राहकों की संख्या आधी हो गयी'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जंक्शन के आस-पास सुबह से देर शाम तक लगने वाले जाम के कारण न्यू मार्केट के 740 दुकानों में जाने वाले ग्राहकों की संख्या आधे से भी कम रह गयी है तथा पटना जंक्शन के आस-पास लगने वाले जाम से प्रतिदिन राजधानी वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार पटना जंक्शन के आस-पास लगने वाले जाम से स्थायी तौर पर मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन आवंटन कराना

*199. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत चरौत अंचल-सह-प्रखंड कार्यालय के लिये जमीन आवंटन से संबंधित कार्य आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर में लम्बित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार चरौत अंचल-सह-प्रखंड कार्यालय के लिये जमीन आवंटन का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

*200. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड रूपौली के पंचायत कौंप के सभी वार्ड एवं गोड़ियर पूरब के वार्ड नम्बर 7 गोड़ियर पश्चिम के वार्ड नम्बर 2 में शुद्ध पेयजल हेतु नल-जल योजना के तहत जलमीनार का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड में जलमीनार बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजनाओं का क्रियान्वयन

*201. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर के दो प्रमुख सड़कें पेट्रोल पम्प लहेरियासराय से एल0आई0सी0 कार्यालय वाया कॉंग्रेस ऑफिस, एन0 पी0 मिश्रा चौक, ब्रह्मस्थान से गंगालाल दास एवं कृष्णाकुंज अपार्टमेंट से बी0 के0 रोड तक एवं एम0 एल0 एकेडमी से रामानन्द पथ गुमटी नम्बर 22 एवं शाहगंज वेंता दुर्गा मंदिर से मा0 विधायक, विनय कुमार चौधरी के घर होते हुये वाया अनूप अमीन के घर से बी0आई0पी0 रोड, महावीर मंदिर तक जानेवाली सड़क जर्जर है, जबकि उक्त स्थान पर नाला-सह-सड़क के निर्माण हेतु विभाग के निर्देश पर नगर विकास प्रमंडल, दरभंगा के कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्रांक 244, दिनांक 25 जुलाई, 2022 द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु मुख्य अभियंता, आधारभूत संरचना को समर्पित किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर नाला-सह-सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ दिलाना

*202. श्री मोहम्मद कामरान (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के कौवाकोल प्रखंड के सरौनी एवं खंडसारी पंचायत पहाड़ी क्षेत्र में आता है, जहाँ वर्षा के आभाव में धान की रोपनी नहीं हो सकी, परंतु विभाग द्वारा गलत रिपोर्ट देने के कारण दोनों पंचायत को सरकार के द्वारा सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, जिसके कारण किसानों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर उक्त दोनों पंचायतों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर किसानों को मिलने वाली लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाम पंजी से हटाना

*203. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के फुलवारीशरीफ अंचल के मौजा-बेतौड़ा में थाना-94, थाना कोड-146, खाता नम्बर-126, खेसरा-658 में 4.5922 डी0 जमीन में से 2.2961 डी0 एवं 2.2961 डी0 जमीन श्रीमती रूपम कुमारी एवं श्रीमती सुजीता कुमार क्रेता द्वारा वर्ष 2018 में क्रय किया गया था । क्रेता द्वारा वर्ष 2018 में दाखिल-खारिज कराने पर दाखिल तो कर दिया गया किन्तु विक्रेता के कुल रकबा में से विक्रय किया गया 4.5922 डी0 जमीन को खारिज नहीं किया गया है, इस दौरान क्रेता द्वारा जब पंजी 2 के विक्रेता का नाम हटाने का आवेदन अंचलाधिकारी को दिया गया तो अंचलाधिकारी के निदेशोपरान्त राजस्व कर्मचारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा दिनांक 18 मई, 2022 को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उक्त आशय को सही पाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विक्रेता का नाम पंजी 2 से हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धान अधिप्राप्ति बढ़ाना

*204. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 264000 मेट्रिक टन रखा गया था जबकि धान का उत्पादन 413753 मेट्रिक टन था ;

(2) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 19212 मेट्रिक टन कर दिया गया है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में धान का उत्पादन 517728 मेट्रिक टन हो गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला का उत्पादन बढ़ने के बावजूद अधिप्राप्ति का लक्ष्य कम कर दिया गया है, जिससे किसानों में निराशा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नालन्दा जिला में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य सीमा बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*205. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना के दानापुर क्षेत्रान्तर्गत आने वाले मुख्य गोला रोड की चौड़ाई नक्शे में 90 फीट है, जिससे रोज लाखों लोग आवागमन करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित सड़क के बेली रोड मिलान बिन्दु से टी-प्वाइंट तक के दोनों तरफ के पथांश में स्थानीय अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किये जाने से इसकी चौड़ाई घटकर 30 फीट रह गयी है जिससे रोज पिक आवर में भारी जाम लगता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोला रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल की व्यवस्था करना

*206. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड कोचाधामन में गरगाँव पंचायत के वार्ड नम्बर 9, राजा मोहरा के लगभग 150 परिवारों को नल-जल योजना के तहत पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में पेयजल की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि प्रखंड कोचाधामन में गरगाँव पंचायत के वार्ड 9 में ''हर घर नल का जल'' योजना के तहत जलापूर्ति करते हुये करीब 100 घरों में जलापूर्ति दी जा रही है ।

वार्ड संख्या 9 में राजा मोहरा/कब्रिस्तान टोला इत्यादि जो मूल योजना से 1 किलो मीटर दूर है में करीब 150 छूटे हुये घरों में एक अदद् नये नलकूप के साथ योजना की आवश्यकता है । योजना के निर्माण हेतु सर्वेक्षण का कार्य कराया गया है । विचलन प्रस्ताव की स्वीकृति कराकर कार्य अविलम्ब कराया जायेगा ।

योजना शुरू करना

*207. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी(अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड अन्तर्गत राटन पंचायत के वार्ड नं० 11 और 12 में नल-जल योजना शुरू नहीं हो सका है, जिसके कारण आमलोगों में भारी असंतोष है, यदि हाँ, तो सरकार नल-जल योजना से वंचित राटन पंचायत के उक्त वार्डों में योजना शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उसना चावल की आपूर्ति

*208. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता उसना चावल खाने के आदी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा जनता में वितरण के लिये जन-वितरण प्रणाली के डीलरों को अरवा चावल की आपूर्ति की जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बलरामपुर क्षेत्र की जनता के लिये डीलरों को उसना चावल की आपूर्ति का इरादा रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा जनता में वितरण के लिये जन-वितरण प्रणाली बिक्रेताओं को उपलब्धता के आधार पर उसना या अरवा चावल की आपूर्ति की गयी है।

(3) खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में जिलों में किसानों से अधिप्राप्त धान के समतुल्य उसना मिलों की कुटाई क्षमता के अनुसार उसना चावल प्राप्त कर लक्षित जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों को वितरित करने का निर्देश निर्गत किया जा चुका है। तदनुसार उपभोक्ताओं को उसना चावल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

मुआवजा देना

*209. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 में गया जिला में भौरा मधुआ कीट से बड़े पैमाने पर किसानों की धान फसल की बर्बादी हुयी है, परन्तु फसल क्षति का मुआवजा किसानों को अभीतक नहीं मिला है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर किसानों को फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति प्रारंभ कराना

*210. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज विधान सभा के अन्तर्गत मानपुर प्रखंड के पंचायत नौघरिया उसरी, ननौक, शादीपुर बारागंधार, सोहैपुर, भदेजा, कईया, लखनपुर में नल-जल योजना अन्तर्गत जलापूर्ति सुचारू रूप से शुरू नहीं किये जाने के कारण आमजनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत में नल-जल योजना अंतर्गत जलापूर्ति सुचारू रूप से शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्ति दिलाना

*211. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर नगर निगम (पूर्व नगर परिषद्) क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या को दूर करने के लिये अधीक्षण अभियंता ने अपने कार्यालय के पत्रांक 146, दिनांक 28 फरवरी, 2022 के माध्यम से मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार बुडको) बिहार, पटना को एवं नगर आयुक्त समस्तीपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक 790, दिनांक 13 मई, 2022 के माध्यम से विभागीय प्रधान सचिव को तकनीकी स्वीकृति उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा है, जो अभीतक लंबित है, परिणाम स्वरूप समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र में जल-जमाव एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुका है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जल-जमाव की समस्या को दूर करने हेतु प्रस्तावित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*212. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् में बुडको द्वारा पोस्ट ऑफिस चौक से सदर रोड होते हुये विजय सिनेमा हॉल तक एवं एन०एच० 57 बस पड़ाव से महिला कॉलेज होते हुये पटेल चौक तक नाला निर्माण कार्य का निविदा होने के पश्चात् कार्य प्रारंभ करने के लिये शिलान्यास किया गया है, जिसके कारण निर्माण कार्य पर जिला प्रशासन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा रोक लगा दिया गया है जिससे नाला निर्माण कार्य लंबित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नाला का निर्माण नहीं होने से बरसात के तीन महीने शहर का जल निकासी अवरुद्ध हो जाता है जिससे प्रति वर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार फारबिसगंज नगर परिषद् के उक्त दोनों नालों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल खोलना

*213. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के हरिहरपुर पूर्वी पंचायत एवं केवटी प्रखंड के शेखपुरदानी पंचायत के आस-पास एक भी पशु अस्पताल नहीं रहने के कारण पशु पालकों को पशुओं का इलाज करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायतों में पशु अस्पताल खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापना करना

*214. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ०जा))--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला का बथनाहा प्रखंड 21 पंचायतों का प्रखंड होने के बावजूद बथनाहा प्रखंड में कार्यरत आपूर्ति पदा० प्रभार में हैं, जो सुरसंड प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदा० के चार्ज में भी है, जिसके कारण खाद्य आपूर्ति संबंधित कार्यों का निष्पादन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बथनाहा प्रखंड आपूर्ति पदा० के पद पर स्थायी रूप से प्रखण्ड आपूर्ति पदा० की पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी उपलब्ध कराना

*215. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखंड योगापट्टी के नवसृजित नगर पंचायत मच्छरगांवा स्थित जलमीनार से पानी संचारण वाली पाइप पुरानी व जर्जर होने के कारण सड़कों पर पानी बहता रहता है, साथ ही आमजन गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार सुचारू ढंग से आमजनों को पीने के पानी की उपलब्धता के लिये उक्त जलमीनार की पुरानी एवं जर्जर हो चुकी पाइप को बदलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*216. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत पहाड़ी इलाके में किसानों के हित में भूमि संरक्षण के लिये जल छाजन के माध्यम से लगभग 12 से 14 करोड़ की राशि प्रत्येक वर्ष खर्च की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी नियमों की अनदेखी कर स्थानीय बिचौलियों एवं पदाधिकारियों की मिलीभगत से कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं करते हुये सारी राशि का बंदरबांट कर लिया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*217. श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा मधुबनी जिलों में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों को प्रभारी जिला प्रबंधकों के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--उप-महाप्रबंधक, प्रशासन, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना के पत्रांक 10031, दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना में जिला प्रबंधक का पद बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिये उप-सचिव स्तर का है । सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से उप-सचिव स्तर के पदाधिकारियों की सेवा अप्राप्त रहने की स्थिति में निगम हित एवं कार्यहित में विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर पर्यवेक्षकीय स्तर के सेवा प्राप्त पदाधिकारियों को निगम में प्रभारी जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थापित का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है । जिला प्रबंधक, दरभंगा के पद पर सम्प्रति आपूर्ति सेवा के एवं जिला प्रबंधक, मधुबनी के पद पर सहकारिता सेवा के पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारी प्रभारी जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थापित हैं ।

पदस्थापना करना

*218. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा समस्तीपुर जिला के ताजपुर नगर परिषद् एवं पटोरी नगर परिषद् का गठन 21 माह पूर्व में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों नगर परिषद् में कार्यपालक पदाधिकारी की स्थायी पदस्थापना नहीं होने के कारण विकास कार्य धीमी गति से चल रही है, जिससे वर्णित नगर परिषद् में नियमित साफ-सफाई एवं जल-जमाव इत्यादि की समस्या बनी हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित नगर परिषद् में स्थाई कार्यपालक पदाधिकारी की पदस्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भूमि वाद का निपटारा

*219. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत एन०एच० 527A निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि के विवाद के निपटारे के संबंध में समाहर्ता, मधुबनी ने पत्रांक 249/जि०भू०अ०, दिनांक 22 अप्रील, 2021 के माध्यम से बताया है कि भूमि का किस्म एवं मुआवजा निर्धारण संबंधित मध्यस्थ पदाधिकारी के रूप में आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा सक्षम प्राधिकार हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि भूस्वामियों के भूमि संबंधी वाद दरभंगा, आयुक्त कार्यालय में लंबित है जिसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल कार्यालय में एन०एच० 527A के भूमि अधिग्रहण से संबंधित दायर वादों का निपटारा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापना करना

*220. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ०जा०))--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विगत 1 वर्ष से प्रभार में कार्यरत हैं, जो रीगा में भी कार्यरत हैं, जिसके कारण खाद्य आपूर्ति संबंधित कार्यों का निष्पादन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मेजरगंज प्रखंड आपूर्ति पदा० के पद पर स्थायी रूप से प्रखंड आपूर्ति पदा० की पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड का निर्माण

*221. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 2779, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्थायी बस स्टैंड निर्माण योजना का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बस स्टैंड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करना

*222. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के उपरांत शीघ्र ही सेवांत लाभ देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड के नाजीरपुर निवासी स्व० रामचन्द्र झा, तत्कालीन अंचल अधिकारी भगवानपुर (बेगूसराय) दिनांक 30 जून, 2002 को सेवानिवृत्ति हो गये किन्तु अभीतक केवल उन्हें ग्रुप बीमा योजना की राशि का भुगतान किया गया है तथा समस्त सेवांत लाभ सहित उनको पेंशन से वंचित रखा गया है तथा इस बीच दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को उनका निधन हो गया, तदुपरांत दिनांक 19 मई, 2022 को उनकी पत्नी द्वारा अंचलाधिकारी, भगवानपुर के पास पारिवारिक पेंशन का दावा किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पदाधिकारी के आश्रित उनके पत्नी के नाम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने तथा सेवांत लाभ का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

एल0 पी0 सी0 निर्गत करना

*223. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के डुमराँव मौजा में सर्वे में त्रुटि के कारण रैयतों को उनके जमीन का दाखिल-खारिज कराने, एल0पी0सी0 बनवाने में कठिनाई हो रही है तथा भूमि विवाद के मामले बढ़ रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मौजा में कराये गये सर्वे में सुधार कराने एवं सुधार होने तक रैयतों के एल0पी0सी0 निर्गत करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लोगों तक पानी पहुँचाना

*224. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के शंकरपुर प्रखंड अन्तर्गत रायभीड़ पंचायत के वार्ड नम्बर 5, वार्ड नम्बर 9 तथा सिंहेश्वर प्रखंड के "इटहरी गहुमनी" पंचायत अन्तर्गत वार्ड नम्बर 3 एवं 7 में नल-जल योजना के तहत जगह-जगह लगाये गये पाइपों से जलस्राव होता है एवं लोगों तक पानी नहीं पहुँच पाता है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायतों में फटे पाइपों को ठीक करवाकर प्रतिदिन लोगों को पानी पहुँचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार को चालू करवाना

*225. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड रूपौली एवं बड़हरा कोठी में शुद्ध पेयजल हेतु नल-जल योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में जलमीनार का निर्माण एक वर्ष पूर्व में किया गया है परन्तु इसे अभीतक चालू नहीं किया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच करवाकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये नल-जल योजना के तहत बने जलमीनार को चालू करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्ट्रीट लाईट लगाना

*226. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सुलतानगंज नगर परिषद् के अन्तर्गत पड़ने वाले सड़क किनारे एवं गलियों में अभीतक स्ट्रीट लाईट नहीं लगाये जाने के कारण लोगों को काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर परिषद्, सुलतानगंज में स्ट्रीट लाईट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्त करना

*227. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विज्ञापन संख्या 21010116/2016 में नगर प्रबंधक के नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशन कराया गया था, जिसकी लिखित परीक्षा 10 सितम्बर, 2018 को ली गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के नगर प्रबंधक के 152 पदों में से 4 पदों पर नियुक्ति की गई है तथा शेष 148 पद रिक्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विज्ञापन के नगर प्रबंधक के शेष 148 पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का आवंटन

*228. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर नगर परिषद् अन्तर्गत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 591 आवास लाभुकों को केवल प्रथम एवं द्वितीय किश्त का ही आवंटन हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक तृतीय किश्त की राशि का आवंटन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*229. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत डंडारी प्रखंड का पशु अस्पताल काफी जर्जर है, जिसके कारण पशु अस्पताल के पदाधिकारियों और पशुपालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पशु अस्पताल का नया भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धान का क्रय करना

*230. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड में 15 पैक्सों में से 10 पैक्सों को धान अधिप्राप्ति करने का आदेश के बावजूद मात्र दो पैक्सों के द्वारा ही धान की अधिप्राप्ति शुरू किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी स्तर पर धान की अधिप्राप्ति नहीं होने के कारण किसानों को अपनी फसल को औने-पौने मूल्यों पर बिचौलियों के हाथों बेचना पड़ रहा है तथा कम मूल्यों के कारण उनके सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में किसानों के धान का क्रय कर निर्धारित मूल्य देने एवं इसके लिये दोषी कर्मियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा का भुगतान

*231. श्री रित लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दीघा मौजा के 1024.52 एकड़ जमीन को आवास बोर्ड, बिहार, पटना द्वारा अधिग्रहित किया गया था जिसका मुआवजा भुगतान 45 वर्षों के बाद भी नहीं किया गया है, जबकि पुराना भू-अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के क्रम में नया संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 2014 लागू भी हो गया है, जिसके तहत उक्त अर्जित भू-खंड को नियमित करने का प्रावधान किया गया है, परन्तु वह भी क्रियान्वित नहीं हो सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दीघा मौजा अन्तर्गत उक्त जमीन की संरचना अब आवास बोर्ड के योजनानुसार नहीं रही, बल्कि काफी जटिल हो गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस समस्या का निदान कर किसानों के साथ न्याय करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*232. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में रेलवे गुमटी से वीर कुंवर सिंह चौक होते हुये दलहट्टा तक सड़क तथा नाला का निर्माण नहीं होने से वहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर सड़क तथा नाले का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पम्पिंग प्लांट चालू करवाना

*233. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत महनार नगर परिषद् में जलापूर्ति योजना के तहत प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और पी0एच0ई0डी0 परिसर में पम्पिंग प्लांट लगवाया गया था, जो बंद पड़ा हुआ है जिसके कारण महनार बाजार के मदन चैक के आस-पास की एक बड़ी आबादी शुद्ध पेयजल से वंचित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर स्थित पम्पिंग प्लांट को पुनः चालू करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पैक्स गोदाम का निर्माण

*234. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड कोचाधामन में 24 पंचायतों में से सिर्फ 12 पंचायतों में ही पैक्स गोदाम का निर्माण हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शेष बचे हुये पंचायतों में पैक्स गोदाम का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*235. श्री मनोज मँजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड अगिआँव के नारायणपुर स्थित प्रथमवर्गीय पशु अस्पताल का अपना भवन नहीं रहने के कारण अस्पताल किराये के मकान में चलता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल में डॉक्टर प्रतिनियुक्त होने के बावजूद ड्यूटी पर नहीं आने से अस्पताल में ताला लटका रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रथमवर्गीय पशु अस्पताल, नारायणपुर के भवन निर्माण एवं अस्पताल को सुचारू रूप से संचालन का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण कराना

*236. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड 2, 3, 4, 5, 8, 13 एवं 24 में जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण वार्ड में नाली का पानी जमा रहने से मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है तथा जानलेवा बीमारी फैलने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जल निकासी के लिये नाला निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

म्यूटेशन कराना

*237. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत बहादुरगंज एवं टेढ़ागाछ अंचलाधिकारियों द्वारा जमीन के म्यूटेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन को 6 माह से 1 वर्ष तक अनावश्यक रूप से लम्बित रख दिया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये उक्त अंचल में ससमय जमीन का म्यूटेशन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*238. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत सन्हौला प्रखंड के सनोखर एवं अरार में नल-जल योजना से जलापूर्ति की गई थी जो एक वर्ष पूर्व से बंद है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर जलापूर्ति शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । अरार पंचायत में कुल 8 वार्ड है, जिसमें से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा वार्ड संख्या 3 एवं 4 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना अरार द्वारा सभी घरों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है । शेष 6 वार्डों में यथा 1, 2, 5, 6, 7 एवं 8 में नल-जल योजना का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा कराया गया है ।

सनोखर पंचायत में कुल 13 वार्ड है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा वार्ड संख्या 1 एवं 4 में दो अदद् मिनी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं द्वारा सभी घरों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है । वार्ड संख्या 6 से 11 तक ग्रामीण जलापूर्ति योजना (PWS) सनोखर द्वारा जलापूर्ति की जा रही है । वार्ड संख्या 10 में अधिक आबादी के कारण अतिरिक्त बोरिंग कराया गया था । जिसका Discharge कम होने के कारण इससे जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, परन्तु मुख्य बोरिंग द्वारा इस वार्ड में आंशिक जलापूर्ति की जा रही है । जिसके लिये वर्तमान में वार्ड संख्या 10 में एक अदद् अतिरिक्त बोरिंग का कार्य प्रगति में है । शेष 5 वार्डों यथा 2, 3, 5, 12 एवं 13 में नल-जल योजना का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा कराया गया है।

पंचायती राज विभाग से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1234 एवं दिनांक 6 दिसम्बर, 2022 द्वारा स्थानान्तरित की गई है ।

लक्ष्य को बढ़ाना

*239. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला में धान खरीद का लक्ष्य वर्ष 2021-22 में 2,50,000 लाख मेट्रिक टन था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य को घटाकर 1,67,213 लाख मेट्रिक टन कर दिया गया है, जबकि किसानों का धान का उत्पादन 4,50,380 लाख मेट्रिक टन हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिला में किसानों की धान खरीद के घटे हुये लक्ष्य को बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य कृषि विभाग द्वारा प्रतिवेदित अनुमानित उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया गया है । खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में गया जिले का अनुमानित उत्पादन 6,67,539 मेट्रिक टन प्रतिवेदित किया गया था, जिसके आलोक में उस वर्ष लक्ष्य का निर्धारित हुआ था । इस वर्ष अनुमानित उत्पादन विगत वर्ष की तुलना में कम प्रतिवेदित होने के फलस्वरूप तदनुरूप लक्ष्य का निर्धारण किया गया है ।

कार्रवाई करना

*240. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत इचहोस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में पैक्स प्रगति रिपोर्ट के क्रम संख्या 183 पर अंकित जयकिशोर सिंह, पिता-स्व० सिद्धेश्वर सिंह से 53.80 क्विंटल धान की खरीद पर अंके 95,675.85 रुपये दिया जाना था, परन्तु मात्र 90,055.95 रुपये का ही भुगतान किया गया एवं क्रम संख्या 177 पर अंकित अश्वनी कुमार, पिता-रामचन्द्र से 42.30 क्विंटल धान खरीद पर 4691.99 तथा क्रम संख्या 214 पर अंकित रविन्द्र कुमार, पिता स्व० सिद्धेश्वर प्रसाद से 116.3 क्विंटल धान खरीद पर 1,32,657.15 की अनियमितता संबंधित प्रतिवेदन जिलाधिकारी, नालन्दा को कार्रवाई हेतु दिनांक 23 जनवरी, 2022 को उपलब्ध कराया गया, परंतु इसपर अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों से खरीद की गयी धान के एवज में किये गये भुगतान की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*241. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी अनुमंडल में नापतौल निरीक्षक का कार्यालय स्थापित है, परन्तु नापतौल निरीक्षक उक्त कार्यालय में ना बैठ कर सारे कार्य सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के कार्यालय में बैठ कर करते हैं, जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में पुपरी अनुमंडल में ही नापतौल निरीक्षक को बैठाने की व्यवस्था शीघ्र करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खाद उपलब्ध कराना

*242. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज, टेढ़ागाछ प्रखंड में किसानों को ससमय खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर किसानों को ससमय खाद उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क बनवाना

*243. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत कहलगांव नगर के स्टेशन चौक से पुरानी चौक किला दुर्गा स्थान होते हुये गंगा तट तक की सड़क जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त सड़क को बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूर्ण कराना

*244. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अन्तर्गत सदर प्रखण्ड मुंगेर एवं बरियारपुर प्रखण्ड में नल-जल योजना अन्तर्गत जलापूर्ति से संबंधित कार्य आधा अधूरा करा कर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण उक्त योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में नल-जल योजना से कराये गये आधे-अधूरे कार्य को मानक के अनुरूप पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध करना

*245. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड चरपोखरी के ग्राम-बगहीं टोला निवासी श्री उमा चौधरी, पिता-चन्देश्वर चौधरी एवं ग्राम-बडहरा माँझी टोला निवासी दसई राम और ललन राम को जमीन का पर्चा मिलने के बावजूद अभीतक जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पर्चाधारियों को जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एजेन्सी बहाल करना

*246. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया प्रखंड सहित अन्य प्रखंडों में हर घर नल-जल योजना के तहत शुद्ध पानी देने हेतु आयरन रिमुवल प्लांट एवं नल के रख-रखाव हेतु सरकार द्वारा एजेन्सी बहाल किया गया था, जिसकी कार्यावधि समाप्त हो गयी है, जिसके कारण प्लान्ट की सफाई, पानी का रिसाव एवं परिचालन की व्यवस्था बाधित है, जिससे आमजन शुद्ध पानी से वंचित हैं, यदि हाँ, तों क्या सरकार प्लान्ट के रख-रखाव हेतु एजेन्सी बहाल करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । वस्तुतः अररिया जिला के अररिया प्रखंड सहित अन्य प्रखंडों में हर घर नल का जल योजना के तहत क्रियान्वित योजना से शुद्ध पानी देने हेतु आयरन रिमुवल प्लांट एवं नल के रख-रखाव हेतु सरकार द्वारा पूर्व से ही एजेन्सी बहाल किया गया है वह सभी कार्यरत है। हर घर नल का जल के तहत क्रियान्वित कोई भी योजना का मरम्मती एवं सम्पोषण कार्य की अवधि अद्यतन तक समाप्त नहीं हुयी है। वर्तमान में सभी योजनाओं का मरम्मती एवं सम्पोषण कार्य संबंधित एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है। वार्डवासियों को हर घर नल का जल के तहत क्रियान्वित योजनाओं से जलापूर्ति की जा रही है।

कंप्यूटर उपलब्ध कराना

*247. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज पशु चिकित्सा केन्द्र पर कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त हैं परंतु सरकार द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इस पशु चिकित्सा केन्द्र पर कंप्यूटर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*248. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के नगर परिषद् डुमराँव शहर का कचड़ा आस-पास के इलाकों में फेंके जाने से वातावरण दूषित हो गया है, जिसके कारण संक्रामक बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कचरा डंपिंग यार्ड एवं वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*249. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-47 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड सहित बिहार के सभी प्रखंड में किसानों के लिये बरसात के मौसम में खलिहान के अभाव में अपना फसल तैयार करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र सहित राज्य के सभी प्रखंड में सार्वजनिक किसान शेड, खलिहान/अनाज आश्रय स्थल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*250. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के अंचलाधिकारी, नवादा के पत्रांक 925, दिनांक 26 जून, 2022 के द्वारा महुली पंचायत के ग्राम-महुली में प्राचीन तालाब का वाद सं० 5/2022-23 के तहत अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार तालाब को अतिक्रमण मुक्त करते हुये ससमय कार्रवाई नहीं करने वाले दोषी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय भवन का निर्माण

*251. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सुलतानगंज प्रखंड में अकबरनगर एक नया नगर पंचायत बना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस नवनिर्मित नगर पंचायत का अपना कार्यालय भवन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नगर पंचायत का अपना कार्यालय भवन बनवाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना

*252. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत तरारी विधान सभा के तरारी प्रखंड में ग्राम बेरई, करथ, भदसेरा, धनगाँव एवं मोपती में उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का निर्णय सरकार ने जनवरी, 2022 में किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जमीन उपलब्ध होते हुये भी जमीन का अनापति प्रमाण-पत्र नहीं देने के कारण कार्य बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी पदाधिकारी पर उचित कार्रवाई करते हुये जमीन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पानी निकासी कराना

*253. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा नगर पंचायत में सड़क चौड़ीकरण के क्रम में जन्दाहा बाजार का नाला क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण जन्दाहा बाजार में जल-जमाव की समस्या बनी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जन्दाहा बाजार के बगल से बाया नदी गुजरती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जन्दाहा बाजार में नये सिरे से नाला का निर्माण करवाकर उससे बाया नदी में पानी निकासी करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य पालन करवाना

*254. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर, लखनौर एवं मधेपुर प्रखंड में कई हेक्टेयर भूमि जल-जमाव के कारण चौर में परिवर्तित हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन कृषि निदेशक, बिहार, पटना ने अपने कार्यालय पत्रांक 713, दिनांक 6 फरवरी, 2015 के माध्यम से सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार को उक्त चौरों में समेकित विकास योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिये जाने का प्रस्ताव दिया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के आर्थिक लाभ हेतु उक्त चौरों में वृहद् पैमाने पर मत्स्य पालन कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्त करना

*255. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम के वार्ड नं० 07, 10, 19, 21, 26, 32, 34 एवं 35 वार्ड में जल-जमाव रहता है, जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है, तथा जल-जमाव से मुक्त करने के लिये स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जाती रही है, परन्तु इस संबंध में अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ड्रेनेज पार्ट-2 बनाकर ऊपर वर्णित वार्डों को जल-जमाव से मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*256. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ताजपुर, पटोरी एवं मोरवा प्रखंडों के अन्तर्गत कुल 37 पंचायत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में तीनों प्रखंड में कुल 600 चापाकल विभाग द्वारा भिन्न-भिन्न पंचायतों में लगाया गया था, जो विगत 2 वर्षों से बंद पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सभी बंद पड़े चापाकल को चालू कराने हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा विगत 8 माह में 2 बार विभागीय पदाधिकारियों को पत्र देने के बावजूद भी पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में बंद पड़े सभी चापाकल को चालू कराकर पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है । समस्तीपुर जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रखंड मोरवा 65 अदद्, प्रखंड ताजपुर 71 अदद् एवं प्रखंड पटोरी 102 अदद् इंडिया मार्क चापाकलों की साधारण मरम्मती करायी गयी थी एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक प्रखंड ताजपुर में 146 अदद्, प्रखंड मोरवा में 134 अदद् एवं प्रखंड पटोरी में 85 अदद् इंडिया मार्क चापकलों का मरम्मती कराकर चालू किया गया है ।

(3) आंशिक स्वीकारात्मक है । इस वित्तीय वर्ष में पेयजल की व्यवस्था बनाये रखते हुये प्रखंड पटोरी, मोरवा एवं ताजपुर में कुल 365 अदद् चापाकलों का मरम्मती कराया गया है । माननीय स0वि0स0 के द्वारा चापाकल मरम्मती हेतु अनुशंसित प्रखंड मोरवा 127 अदद्, प्रखंड ताजपुर 46 अदद् की सूची प्राप्त हुई थी, जिसमें से प्रखंड मोरवा 94 अदद्, प्रखंड ताजपुर में 24 अदद् की साधारण मरम्मती करायी गयी है । प्रखंड मोरवा में 13 अदद्, प्रखंड ताजपुर में 12 अदद् चापाकल ध्वस्त पायी गयी । ध्वस्त चापाकलों को उनके स्थान से हटाने की कार्रवाई की जा रही है ।

(4) आंशिक स्वीकारात्मक है । लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा पेयजल की व्यवस्था बनाये रखने हेतु बंद चापाकलों की मरम्मती शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त दैनिक रूप से कराई जाती है । 'हर घर नल का जल' योजना के माध्यम से भी वर्णित प्रखंडों में जलापूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है ।

सड़कों की मरम्मती

*257. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम अन्तर्गत अगमकुआँ, पहाड़ी पर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम द्वारा 15 वर्ष पूर्व सड़क का निर्माण किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत 15 वर्षों से ट्रांसपोर्ट नगर की सड़क की मरम्मती नहीं होने से सड़क पूरी तरह समाप्त हो चुकी है एवं सड़क जर्जर हो गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ट्रांसपोर्ट नगर स्थित क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती एवं नाला सफाई का कार्य शीघ्र कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा देना

*258. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार जनसेवक/ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता (भर्त्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2015 (कृषि विभाग) सरकारी संकल्प के आलोक में बिहार में कृषि सलाहकारों को जनसेवक का दर्जा प्रदान करने का निर्णय विभागीय स्तर पर लिया गया था ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कृषि सलाहकारों को उक्त संकल्प और निर्णय के अनुकूल बिहार जनसेवक/ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता के दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पी0 डी0 एस0 दुकान खोलना

*259. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत के बेगूसराय प्रखंड के चाँदपुरा पंचायत के कुल 16 वार्डों में जिसमें से वार्ड 1 से 6 में 7 जन-वितरण प्रणाली की दुकान है जबकि वार्ड 7 से वार्ड 16 में कोई भी जन-वितरण प्रणाली की दुकान नहीं है जिस कारण उक्त वार्ड के वासियों को अनाज का वितरण एवं अन्य सामग्रियों का वितरण ससमय उपलब्ध नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वार्ड 7 से 16 में जन-वितरण प्रणाली की दुकान खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 892, दिनांक 6 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बेगूसराय प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत, चाँदपुरा में कुल 16 वार्ड है, जिसमें कुल स्वीकृत जन-वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या 6 है, जिसके विरुद्ध 5 जन-वितरण प्रणाली विक्रेता वर्तमान में कार्यरत हैं, जो कि वार्ड संख्या 1 से 6 में अवस्थित है । वार्ड संख्या 7 से 16 में 1 जन-वितरण प्रणाली विक्रेता स्व0 शिवचन्द्र प्रसाद सिंह कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु के उपरान्त उनके दुकान को नजदीकी विक्रेता श्री शंकर साह के दुकान के साथ संबंद्ध किया गया है । विदित हो कि जन-वितरण प्रणाली विक्रेता का चयन पंचायत स्तर पर विद्यमान जनगणना की जनसंख्या के आधार पर की जाती है । वर्तमान में पोर्टीबीलीटी की सुविधा से लाभुकों द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया जा रहा है ।

अतिक्रमण मुक्त कराना

*260. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखंड के साहरघाट बाजार की भूमि का पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण बाजार आने वाले लोगों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शीघ्र साहरघाट बाजार की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*261. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत घोसी विधान सभा क्षेत्र के कुल 38 महादलित गांवों में सौर ऊर्जा चालित मिनी जलापूर्ति योजना वर्ष 2016-17 में शुरू किया गया था, जो चालू होकर एक वर्ष बाद से ही बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन सभी के लिये ऑपरेटर नियुक्त किये गये थे, जिन्हें मानदेय भुगतान के नाम पर तथा इन योजनाओं के रख-रखाव के नाम पर राशि की निकासी की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराने तथा योजना को शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*262. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती एवं कहलगाँव प्रखण्ड के लगभग 22 पंचायतों में वर्ष 2022-23 में आये बाढ़ से फसल क्षति के मुआवजा की राशि किसानों को अभीतक नहीं मिला है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में बाढ़ से क्षति हुयी फसलों का मुआवजा किसानों को देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह बनवाना

*263. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कुचायकोट में शवदाह गृह नहीं रहने के कारण शव का दाह-संस्कार करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान में शवदाह गृह बनवाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*264. <u>श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)</u>--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड एवं रहिका प्रखंड में किसानों को गेहूँ बुआई के लिये गेहूँ का बीज खाद डी०ए०पी० एवं यूरिया नहीं मिल रहा है, जिससे किसान काफी परेशान है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किसानों को खाद एवं बीज उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

*265. <u>श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)</u>--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के गोह पोखरा के पास अनुसूचित जाति के बस्ती में पेयजल की गंभीर समस्या है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर चापाकल लगवाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*266. <u>श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)</u>--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला में राजस्व कर्मचारी के मृत्यु के उपरांत मृतक के आश्रित को जिला अनुकम्पा समिति द्वारा राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्त कर लिया गया है, जबकि बिहार राजस्व संवर्ग नियमावली, 2011 में राजस्व कर्मचारी के पद पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी नियुक्ति का प्रावधान है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित राजस्व कर्मचारी को उक्त पद से हटाते हुये अन्य पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*267. <u>श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र-संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))</u>--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत नारायणपुर पंचायत के वार्ड संख्या 11 के कुतुबपुर, डगरा टोला, भट्ठा टोला में एक माह से जलापूर्ति बंद है, यदि हाँ, तो सरकार वहां नियमित जलापूर्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>--आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुतः कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत नारायणपुर पंचायत के वार्ड संख्या 11 के कुतुबपुर, डगरा टोला, भट्ठा टोला योजना संख्या 11B एवं 11C में विवाद के कारण जलापूर्ति बाधित था जिसके लिये संवेदक पर अर्थदंड लगाया गया है। वर्तमान में जलापूर्ति बहाल कर दी गयी है।

धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाना

'ख'-*268. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभाग ने खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के अंतर्गत किसानों से धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2023 रखा है, जबकि इस अवधि तक कई किसानों का धान बिक्री के लिये तैयार नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों से धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि को बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*269. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा शहर में बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सहरसा के बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पहचान-पत्र/ऋण मुहैया कराना

*270. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पिछले कोरोना काल से लेकर अभीतक शहरी फुटपाथी दुकानदारों जैसे सब्जी, फल बिक्रेता, ठेला, खोमचा एवं परचून सहित रेडीमेड बिक्रेताओं को चिन्हित कर पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण उनकी माली हालत बद से बदत्तर हो गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शहरी फुटपाथी दुकानदारों को पहचान-पत्र जारी करते हुये ऋण मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*271. श्री विजय कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-168 लखीसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय नगर परिषद् के स्थायी सशक्त समिति द्वारा लालू बस पड़ाव, लखीसराय एवं अम्बेदकर बस पड़ाव लखीसराय के बन्दोबस्ती लेने वाले संवेदकों को वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में बंदोबस्ती शुल्क का 50 प्रतिशत राशि यानि कुल 1 करोड़ 25 लाख की राशि माफ किया गया है, जो सरकार के राजस्व की क्षति है, जबकि नगर परिषद् के स्थायी सशक्त समिति को शुल्क माफी करने का अधिकार नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*272. सुश्री श्रेयसी सिंह (क्षेत्र संख्या-241 जमुई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के जमुई जिला के जमुई नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत जमुई पॉलिटेक्निक रोड से महाराजगंज मोड़ तक सड़क निर्माण हुये 20 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, जो जर्जर स्थिति में होने के कारण वाहनों का आवागमन लगभग बंद है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जमुई नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत जमुई पॉलिटेक्निक रोड से महाराजगंज मोड़ तक सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*273. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ सदर अनुमंडल पशु चिकित्सालय का भवन, पशु शेड जर्जर तथा टूटी हुई चहारदीवारी एवं जल-जमाव रहने के कारण यहां पशुओं का इलाज करने में चिकित्सकों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सालय में पशु शेड, टूटी हुयी चहारदीवारी एवं पशु अस्पताल का भवन निर्माण तथा जल-जमाव की समस्या का निदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट-- 'ख'- सहकारिता विभाग से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, में स्थानांतरित ।

पाइप लाइन बदलना

'ग'-*274. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा के विक्रमगंज नगर परिषद् में घोंषिया कला रोड स्थित वार्ड संख्या 23 एवं 24 के समीप छोटी मस्जिद अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि छोटी मस्जिद के समीप पानी सप्लाई पाइप फट जाने के कारण जल-जमाव की स्थिति बनी हुई है जिस कारण नमाजियों को आये दिन मस्जिद आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर फटे हुये पानी सप्लाई पाइप को बदल कर जल-जमाव से मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करना

*275. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के राजपुर में कृषि फार्म की 30 एकड़ जमीन है जिसपर कृषि से संबंधित कोई कार्य विगत 10 वर्षों से नहीं हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा इस जमीन को उद्योग विभाग को हस्तांतरित कर इसपर कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग से एक वर्ष से पहल की जा रही है परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त राजपुर कृषि फार्म को उद्योग विभाग को हस्तांतरित कर इसपर कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आपूर्ति करना

*276. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सात निश्चय के तहत जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड में नल-जल योजना का जलमीनार वार्ड स्तर पर स्थापित किया गया है परंतु सकरोढ़ा गांव का टोला तिलक बिगहा, बलवापर सहित अन्य पंचायत के लोग उक्त योजना से वंचित हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर पेयजल से वंचित लोगों के लिये प्रत्येक पंचायत स्तर पर 5-5 चापाकल आपूर्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियम का पालन करना

*277. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं० 1 से 28 तक में गंदे पानी के जमाव होने के कारण लोग नारकीय जीवन को मजबूर हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में जमे गंदे पानी को साफ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ग'-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित ।

औचित्य बतलाना

*278. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में धान खरीद शुरू हुये 20 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभीतक जिलों में धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित कर नहीं भेजा गया है, यदि हाँ, तो अभीतक जिलों को लक्ष्य नहीं दिये जाने का क्या औचित्य है ?

जलापूर्ति कराना

*279. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत बौंसी प्रखंड के बौंसी नगर पंचायत, बौंसी के सुखनिया में स्थित जलमीनार से नयागाँव को पानी उपलब्ध हो रहा है परन्तु दूसरी तरफ अवस्थित बौंसी गाँव में जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण गाँवासियों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, इस संबंध में स्थानीय पदाधिकारियों को उक्त आशय की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार निष्पक्ष जाँच कराकर यथाशीघ्र उक्त जलमीनार द्वारा बौंसी नगर पंचायत के बौंसी गाँव में पेय जलापूर्ति उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*280. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 2008 के रोड मैप में यह बात समाहित थी कि उन्नत बीज के लिये उपयुक्त जलवायु वाले राज्यों के अनुसंधान केन्द्रों से बीज मंगाकर बिहार के दोनों कृषि विश्वविद्यालय तथा बिहार के कृषि विज्ञान केन्द्रों में परीक्षण किया जायेगा तथा परीक्षण के उपरान्त विभागीय सचिव स्तर की समिति द्वारा किसानों को उन्नत बीज मुहैया कराने के लिये अनुशंसित किया जायेगा, यदि हाँ, तो सरकार ने कृषि कार्यों के लिये परीक्षणोपरान्त अबतक कितनी बीजों का चयन किया है और यदि नहीं तो कृषि रोड मैप के तहत लिये गये निर्णय के आलोक में अबतक कोई कार्रवाई नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

पार्क निर्माण कराना

*281. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत पालीगंज नगर पंचायत में मठ से सटे महाराजगंज के सामने खाली भू-खंड पर पूरे वर्ष जल-जमाव एवं गंदगी का अंबार लगा रहता है जिससे आस-पास के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी सफाई कराकर उक्त भू-खंड पर पार्क निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल मुहैया कराना

*282. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती विधान सभा क्षेत्र के पीरपैंती एवं कहलगाँव प्रखंड में नल-जल योजना के तहत पाइप लाइन बिछ जाने के बावजूद पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण लोग शुद्ध पेयजल से वंचित हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में निर्माण कार्य में अनियमितता की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करते हुये आमजन को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुतः भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती विधान सभा क्षेत्र के पीरपैंती एवं कहलगाँव प्रखंड में निर्मित नल-जल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति की जा रही है । बहुग्रामीण योजना कहलगाँव अन्तर्गत पीरपैंती एवं कहलगाँव प्रखंड के कुछ बसावट पहाड़ी या अधिक ऊँचाई पर अवस्थित होने के कारण एवं कुछ बसावट निर्मित जलमीनार से बहुत अधिक दूरी होने के कारण उनमें आंशिक एवं कम दाब के साथ जलापूर्ति हो पा रही है । इस हेतु उचित जगहों पर बूस्टर पम्प का प्रावधान करते हुये विचलन प्रस्ताव वित्त विभाग के स्तर पर विचाराधीन है । वित्त विभाग के परामर्शोपरान्त विचलन प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद कार्य का सम्पादन कराकर समस्या का निराकरण करा दिया जायेगा ।

सड़क का निर्माण

*283. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड मुख्यालय को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड मुख्यालय नगर पंचायत बनने के बाद भी नगर पंचायत, दिनारा में नाली सहित सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे लोगों में काफी असंतोष है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगर पंचायत, दिनारा में नाली सहित सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि महाविद्यालय खोलना

*284. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ0जा0))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के किसानों को कृषि क्षेत्र में जागरूक बनाने हेतु अधिक-से-अधिक कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया विधान सभा क्षेत्र पूर्णरूपेण कृषि प्रधान क्षेत्र है परन्तु कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय के अभाव में किसानों को कृषि के नये तकनीक से वंचित रहना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोहनिया विधान सभा क्षेत्र में कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड का निर्माण

*285. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी नगर परिषद् से सैकड़ों बसों का परिचालन प्रतिदिन होता है, परन्तु बस स्टैण्ड नहीं रहने के कारण बस संचालक द्वारा बसों को मुख्य मार्ग के किनारे बस खड़ा करने से नगरवासियों को जाम की समस्या से प्रतिदिन जूझना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में बनमनखी नगर परिषद् को जाम की समस्या से निजात दिलाने एवं यात्रियों तथा बस संचालक को सुविधा उपलब्ध कराने के लिये उक्त नगर परिषद् क्षेत्र में आधुनिक बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*286. श्री संजीव चौरसिया (क्षेत्र संख्या-181 दीघा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दीघा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बाबा चौक, इन्द्रपुरी, पटेलनगर से उत्तरी श्रीकृष्णापुरी होते हुये बोरिंग कैनाल रोड, राजापुल तक जानेवाली आनंदपुरी नाला के बगल से एक सड़क गुजरती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना स्मार्ट सिटी के तहत उक्त नाला को पाटकर सड़क निर्माण हेतु नगर विकास विभाग द्वारा डी०पी०आर० भी तैयार किया गया है जिसका विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन भी प्राप्त है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान के नाला के बगल से गुजरने वाली सड़क काफी जर्जर एवं संकीर्ण है तथा नाला खुला होने के कारण आये दिन लोगों के साथ दुर्घटनाएँ भी होती रहती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्मार्ट सिटी योजना के तहत उक्त नाला को पाटकर सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति प्रारंभ कराना

*287. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज(अ०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के मझुआ पूरब पंचायत के वार्ड नं० 12 ग्राम-जटहा टोला में विगत 6 (छः) माह से हर घर नल का जल योजना से जलापूर्ति बंद है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड में जलापूर्ति पुनः प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आँशिक स्वीकारात्मक । वस्तुतः रानीगंज प्रखण्ड अन्तर्गत मझुआ पूरब पंचायत के वार्ड संख्या 12 ग्राम-जटहा टोला में अवस्थित योजनाओं का वर्तमान में सभी त्रुटियों का निराकरण कर लाभान्वितों को सुचारू रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाना

*288. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम के शहरी क्षेत्र में अन्दर हर चौराहे एवं महत्वपूर्ण सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय के सामने सी०सी०टी०वी० कैमरा नहीं लगाये जाने के कारण आये दिन अपराधी बिना डर-भय के अपराध को अंजाम देते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार आम जनहित में बेगूसराय नगर निगम के शहरी क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*289. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के संपतचक अंचल के मौजा दरियापुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के संबंध में अंचलाधिकारी, संपतचक के पत्रांक 714, दिनांक 18 जून, 2022 द्वारा मौजा दरियापुर थाना सं० 108, खाता सं० 201, खेसरा सं० 361 पर अतिक्रमणवाद सं० 8/21-22 चलाकर संबंधित भूमि की मापी करा दी गयी तथा प्रपत्र 2 में अंतिम नोटिस भी निर्गत कर देने के बाद भी उक्त अतिक्रमित भूमि पर अभीतक लोगों का अवैध कब्जा है, जिससे आस-पास के आमलोगों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद उपलब्ध कराना

*290. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद किसानों को नहीं मिल रहा है तथा आवंटन भी आवश्यकतानुसार नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी भी हो रही है जिससे किसान परेशान हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किसानों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*291. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर में लगने वाला एशिया प्रसिद्ध सोनपुर कृषि एवं पशु मेला हर वर्ष लगा करता है जिसके लिये प्रतिवर्ष कृषि प्रांगण प्रदर्शनी पर लाखों, करोड़ों रुपया प्रदर्शन पण्डाल निर्माण पर खर्च होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर एक स्थायी कृषि भवन एवं कृषि प्रशिक्षण कॉलेज तथा स्थायी प्रदर्शनी स्थल का निर्माण करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पाइप लाइन बिछाना

'घ'-*292. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 02 में अबतक जलापूर्ति के लिये पाइप लाइन नहीं बिछाई गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वहां पाइप लाइन बिछाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*293. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत प्रखंड कोटवा में राजस्व कचहरी (कझीया) भवन की स्थिति अत्यन्त जर्जर अवस्था में है, जिसके निर्माण हेतु समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) के पत्रांक 04, दिनांक 7 जनवरी, 2022 द्वारा आवंटन उपलब्ध की मांग की गई है, जो विभागीय स्तर पर लंबित है यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित राजस्व कचहरी का निर्माण कराने हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का पुनर्निर्माण

*294. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के नगर परिषद्, बरौली कार्यालय के सामने से भडकुइयां तिवारी टोला होते हुये छोटा बढेयां जाने वाली सड़क 2020 के बाढ़ में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बढ़ेयां के तरफ से आवागमन 2020 के बाद बिल्कुल बंद है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

*295. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 53537 घरों में निगम द्वारा 24 घंटे लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिये प्रारंभ की गई जलापूर्ति योजना के फेज-2 के लिये आवंटित राशि समाप्त हो गई है, जबकि राशि उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा एक वर्ष पूर्व ही विभाग को अनुरोध किया गया है, यदि हाँ, तो कबतक सरकार राशि उपलब्ध कराकर 53537 घरों में पानी पहुँचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट-- 'घ'- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से नगर विकास एवं आवास में स्थानांतरित ।

भूमि अधिग्रहण करवाना

*296. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत अंचल जितवारपुर, मौजा कोरबद्धा मुख्य सड़क रामविलास महतो (अमीन) के घर के निकट से राम विनोद राम टोला जाने के लिये एवं मौजा नीरपुर स्थित वार्ड संख्या 5,6 (महादलित टोला) तक जाने के लिये संपर्क--सह पहुँच पथ नहीं है, जिसके कारण आमलोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त संपर्क सड़क-सह- पहुँच पथ के निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगाना

*297. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिले के करपी प्रखंड के मुरारी, झिकटिया के करपी गांव में जल स्तर नीचे तल जाने से घरों के चापाकल सूख गये हैं, जिसके कारण आमजनों के समक्ष पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सूखाग्रस्त गांव में हथिया चापाकल लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ देना

*298. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के बेतिया को नगर निगम का दर्जा देते हुये बेतिया ग्रामीण अंचल के सात पंचायतों को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है, जहां की 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है तथा उक्त नगर निगम में रहने वाले हजारों गरीब परिवार जिनके पास आवासीय भू-खंड के कागजात नहीं हैं । वह पीएम आवास, शौचालय निर्माण आदि सरकारी योजना से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर निगम में पीएम आवास, शौचालय निर्माण आदि सरकारी योजना से वंचित परिवारों को उक्त योजनाओं का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*299. श्री मोती लाल प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी नगर निगम अन्तर्गत चाणक्यपुरी पुराना वार्ड नं० 20 मेला रोड, सीतामढ़ी में सरकार द्वारा निर्मित सड़क एवं नाली का अतिक्रमण कर अतिक्रमणकारी द्वारा चहारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त (1) खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार सरकारी पैसों से बनी नाली और सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराते हुये चहारदीवारी के निर्माण पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण एवं सफाई

*300. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर बाजार के अस्पताल रोड में गंदे पानी का नाली टूट जाने एवं नालियों की सफाई नहीं होने से बाजार में गंदे पानी जल का जमाव हो जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नाला का निर्माण कराने के साथ बाजार के अन्य नालियों को साफ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*301. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 में वर्षा नहीं होने के कारण नवादा जिलान्तर्गत हिसुआ विधान सभा क्षेत्र के अकबरपुर प्रखंड स्थित पंचायत यथा सकरपुरा, बढ़ैल, भनैल लोदिपुर, पंचरूखी, बकसंडा, मालिकपुर, नेमदारगंज, लेदहा, पंचगाँवा सुखाग्रस्त हो गया है, जिससे किसानों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड के पंचायतों के किसानों को शीघ्र मुआवजा राशि प्रदान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*302. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत मैरवा नगर पंचायत में एक भी पार्क नहीं रहने के कारण लोग मॉर्निंग वॉक, योगा आदि की सुविधा से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार मैरवा नगर पंचायत में पार्क बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चयन करना

*303. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखंड स्थित देवरा बंधौली पंचायत में वर्ष 2018 में जन-वितरण प्रणाली दुकान को चलाने वाले डीलर की रिक्तियाँ निकली थी, जिसमें जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 192/एन0आई0सी0, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 द्वारा CTTP से नीचे की डिग्री ADCA वाले को वरीयता देकर चयन कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जन-वितरण प्रणाली दुकान के डीलर के चयन में हुये अनियमितता की जाँच कराते हुये पारदर्शिता के साथ जन-वितरण प्रणाली दुकान के डीलर का चयन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 1871, दिनांक 5 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 192/एन0आई0सी0, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 द्वारा CTTP डिग्री को DCA के समतुल्य होने की बात की गई है एवं ADCA डिग्री को CTTP की तुलना में कम्प्यूटर योग्यता के संदर्भ में अधिक योग्य (उच्चतर) प्रतिवेदित किया गया है । तद्नुसार बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में वर्णित प्रावधान के आलोक में उच्च योग्यताधारी को चयन करने का निर्णय जिला चयन समिति द्वारा लिया गया है ।

वेतन भुगतान करना

*304. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बिक्रमगंज, नगर परिषद् कार्यालय में कार्यरत कर्मी श्री भगवान सिंह, अनुज्ञप्ति निरीक्षक दिनांक 20 जून, 2016 को लकवा रोग से ग्रसित हो जाने के उपरान्त दिनांक 24 जून, 2016 को आवेदन देने और स्वस्थ होने के उपरान्त कार्यालय में योगदान करने के पश्चात् अभीतक इनके वेतन का भुगतान नहीं किये जाने से इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित कर्मी का वेतन भुगतान करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापना करना

*305. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मगध प्रमंडल अन्तर्गत भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकार, मगध प्रमंडल, गया में पीठासीन पदाधिकारी का पद विगत 2 माह से रिक्त रहने के कारण मगध प्रमंडल के भूमि संबंधी कार्यों का निष्पादन नहीं होने से लोगों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित प्रमंडल में उक्त रिक्त पद पर पीठासीन पदाधिकारी का पदस्थापन करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य शुरू करना

*306. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--दिनांक 9 अक्टूबर, 2022 के दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''गलत प्लानिंग का खामियाजा, 60 करोड़ खर्च के बाद भी गन्दा पानी शहर से नहीं निकाल सका निगम व बुडको'' के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा शहर के जल निकासी के लिये बुडको के द्वारा वर्ष 2014 में लगभग 362 करोड़ रुपया का डी0पी0आर0 तैयार किया गया था, परंतु मात्र 54 करोड़ की राशि आवंटित कर टुकड़ों में बने नालों के कारण सहरसा शहर की जल निकासी की समस्या आजतक जस की तस है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सहरसा की जल निकासी का स्थायी समाधान हेतु डी0पी0आर0 में वर्णित शेष राशि आवंटित करते हुये दोबारा इस कार्य को शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*307. श्री वीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसड़ा (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर प्रखंड के किशनपुर गाँव के वार्ड नं० 10 में सरकारी जमीन पर बने सड़क को अतिक्रमण कर भवन का निर्माण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचल द्वारा उक्त सड़क को 6 अमीनों द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2021 को नापी कर लाल निशान लगाकर चिन्हित किया गया तथा स्थानीय ग्रामीणों से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उक्त सड़क को आजतक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

संसाधन उपलब्ध कराना

*308. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 29 पंचायतें हैं, जिसमें 25 राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कर्मचारियों के लिये कार्यालय एवं आवश्यक संसाधनों की कमी है, जिससे आमजनों को दाखिल-खारिज कर सहित अन्य कार्यों के निपटारे में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजस्व कर्मचारियों हेतु कार्यालय एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*309. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखण्ड मोहड़ा तथा प्रखण्ड उत्तरी में नल-जल योजना के तहत ग्रामीणों को पानी पीने का सुविधा प्रदान की गयी थी, परन्तु उक्त प्रखण्ड के किसी भी ग्राम में पानी की सप्लाई सही तरीके से नहीं होने के कारण ग्रामीण जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में नल-जल योजना की उच्चस्तरीय जाँच करवाकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*310. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखंड योगापट्टी के मच्छरगाँवा बाजार से लक्षनौता जाने वाली सड़क अतिक्रमित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का निर्माण करने वाले संवेदक द्वारा भी अंचल में अतिक्रमण मुक्ति हेतु आवेदन दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

धान अधिप्राप्ति करना

*311. श्री विजय कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-168 लखीसराय)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के रामगढ़ प्रखण्ड के शरमा पंचायत पैक्स को 2021-22 में 35,000 क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य दिया गया था जिसे घटाकर इसे वर्ष 2022-23 में 1900 क्विंटल कर दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य पूर्व की भांति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मजदूरी दर बढ़ाना

*312. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के एफ०सी०आई० नटवार में ट्रक से प्रति बोरा उतारने के लिये मजदूरों को मजदूरी 3.00 रुपया दिया जाता है जबकि सरकार द्वारा एफ०सी०आई० को प्रति बोरा मजदूरी 09.10(नौ रुपया दस पैसा) का भुगतान किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एफ०सी०आई० नटवार के मजदूरों द्वारा सरकार से तय 09.10 (नौ रुपया दस पैसा) प्रति बोरा मजदूरी की लगातार माँग की जाती रही है, पर आजतक पदाधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एफ०सी०आई० मजदूरों को प्रति बोरा पूरी मजदूरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*313. ई० शशि भूषण सिंह (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि उप-मत्स्य निदेशक, तिरहुत परिक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के जिला मत्स्य पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी के अतिरिक्त प्रभार में भी हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि संयुक्त मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 130, दिनांक 29 जून, 2022 में कई सारे अनियमितताओं का उजागर हुआ है, जिसमें वे दोषी हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि विभागीय जाँच में भी अनियमितता प्रमाणित पाये जाने पर भी अभी कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इसका औचित्य क्या है ?

सम्राट अशोक भवन का निर्माण

*314. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेरघाटी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर निकायों में बहुउद्देशीय सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु नगर परिषद्, शेरघाटी के पत्रांक 98, दिनांक 11 फरवरी, 2021 द्वारा प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता दक्षिण बिहार उप-भाग जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सिवरेज, बुडको को समर्पित किया गया है परंतु तकनीकी स्वीकृति एवं शीघ्र निविदा की कार्रवाई अभीतक नहीं की गयी है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर शीघ्र निविदा निकालने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 (ई०)।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० - 44(एल०ए०), 2022-23 डी०टी०पी० -550